झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 1511/2018

मेसर्स घोष स्टोन वर्क्स प्रोपराइटर सुनील कुमार घोष, उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता स्वर्गीय देवेंद्र कुमार घोष, निवासी ग्राम - कालीतल्ला, डाकघर+थाना - बरहरवा, जिला - साहिबगंज (झारखंड)। .... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखण्ड राज्य
2. खान आयुक्त, झारखंड, रांची, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नेपाल हाउस, डाकघर+थाना - डोरंडा, जिला. -रांची (झारखंड)।
3. उपायुक्त, साहिबगंज, डाकघर+थाना+जिला - साहिबगंज (झारखंड).
4. जिला खनन पदाधिकारी, साहिबगंज, डाकघर+थाना+जिला - साहिबगंज (झारखंड)।

.... **प्रतिवादी**

कोरम :माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सिद्धार्थ रॉय, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से : श्री गौरव राज, ए.सी. टू ए.ए.जी.-II

सुश्री स्वेता शुक्ला, ए.सी. टू ए.ए.जी.-II

<u>मौखिक जजमेंट/निर्णय</u>

<u>आदेश संख्या 04 : दिनांक 29 नवंबर, 2023</u>

<u>न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद</u>

1. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें पुनरीक्षण केस संख्या 84/2016 में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 28.11.2017 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत पुनरीक्षण को खारिज करते हुए, अधिकतम 10 वर्ष की अवधि

के लिए लीज देने के रिट याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. रिट याचिका में की गई दलीलों के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य जिन्हें सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है, नीचे दिए गए हैं:-

3. रिट याचिका का तथ्य यह है कि प्रश्नगत क्षेत्र पर खनन पट्टा रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में 11.10.2000 से 10.10.2010 तक 10 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, उक्त लीज को याचिकाकर्ता के पक्ष में 11.10.2010 से 10.10.2015 तक 05 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था।

4. इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने 02.06.2015 को उक्त पत्थर खनन लीज को 11.10.2015 से 10.10.2025 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण करने के लिए आवेदन किया था।

5. रिट याचिकाकर्ता का तर्क है कि नवीनीकरण के लिए आवेदन एस.ई.आई.ए.ए, झारखंड से पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद किया गया था, जो 10 वर्षों के लिए वैध है। हालांकि, उपायुक्त ने रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पत्थर खनन लीज के नवीनीकरण के लिए 05 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

6. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि 10 वर्षों की अवधि के लिए उक्त नवीकरण से इनकार कर दिया गया है, जबकि अन्य लाइसेंसधारियों को समान लाभ प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण मामला संख्या 84/2016 को प्राथमिकता दी। लेकिन, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने संशोधित झारखंड लघु खनिज रियायत नियम, 2004 (जिसे आगे जे.एम.एम.सी नियम कहा जाएगा) के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें नियम 9(1) के तहत एक नियम शामिल है जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि सभी मौजूदा/लंबित नवीकरण लीज 31 मार्च, 2020 तक या उससे अधिक अवधि के लिए विस्तारित माने जाएंगे, जिसके लिए इसे प्रदान/नवीनीकृत किया गया है।

7. पुनरीक्षण प्राधिकरण ने जेएमएमसी नियम के नियम 9(1) के तहत दिए गए वैधानिक आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने

के आधार के रूप में लिया है। उक्त आदेश को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से यांत्रिक है तथा इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए लीज के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया है, जो 02.06.2015 को किया गया था।

9. तर्क यह दिया गया है कि इसे नवीनीकृत तो किया गया है, लेकिन 10 वर्षों की अवधि के लिए नहीं, बल्कि यह केवल 10.10.2025 तक की बजाय 11.10.2015 से 10.10.2020 तक की अवधि के लिए है और इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोर अवैधता की गई है, जिसे लीज का नवीनीकरण करना था।

10. आगे तर्क यह दिया गया है कि चूंकि आवेदन दिनांक 02.06.2015 का है, इसलिए जे.एम.एम.सी नियमों के नियम 9(1) के तहत निहित अनुवर्ती नियम लागू नहीं होंगे।

11. इसके विपरीत, श्री गौरव राज, विद्वान ए.सी. से ए.ए.जी.-II, ने जवाबी हलफनामे में दिए गए कथन के आधार पर पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है। इसके अलावा, यह आधार लिया गया है कि लीज जारी करना संबंधित पक्ष का निहित अधिकार नहीं है, बल्कि, यह लाइसेंसिंग प्राधिकरण पर निर्भर है कि वह विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस जारी करे और आवेदक यह दावा नहीं कर सकता कि लाइसेंस किसी विशेष अवधि के लिए जारी किया जाए।

12. यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 02.06.2015 को 10 वर्षों के लिए किए गए आवेदन के आधार पर, लीज को 10.10.2020 तक बढ़ाया गया था, लेकिन, इसके बाद नियम 9 के तहत प्रावधान को सम्मिलित करके जेएमएमसी नियमों में संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया है कि सभी मौजूदा/लंबित नवीनीकरण लीज 31 मार्च, 2020 तक या उससे अधिक अवधि के लिए बढ़ाए गए माने जाएंगे, जिसके लिए इसे प्रदान/नवीनीकृत किया गया है, जो भी बाद में हो।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि लीज का नवीनीकरण 10.10.2020 तक किया गया था और जे.एम.एम.सी नियमों के नियम 9(1) के प्रावधान के अनुसार, लीज 31.03.2020 तक संचालित होना था, लेकिन उपरोक्त नियम में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता को 31.03.2020 के बाद भी खनन कार्य करने की अनुमति दी गई, क्योंकि लीज की वैधता 10.10.2020 तक थी।

14. आगे तर्क यह दिया गया है कि यदि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने जेएमएमसी नियमों के नियम 9(1) का हवाला देकर रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है, तो इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है, साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जिस समय लीज का नवीनीकरण किया गया था, उसे बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया था।

15. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर गौर किया है।

16. इस मामले में निर्विवाद तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता लीज के तीसरे नवीनीकरण से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित है, जो 10.10.2020 तक था। ऐसी शिकायत का कारण यह है कि नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय, दिनांक 02.06.2015 के आवेदन के अनुसार, लीज का नवीनीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए मांगा गया था, लेकिन इसे 05 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया था।

17. इसके अलावा स्वीकृत तथ्य यह है कि जिस समय लीज पहली बार 05 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया था, उस समय उक्त निर्णय पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था और रिट याचिकाकर्ता ने नियमों और शर्तों और वैधता अवधि को स्वीकार करते हुए खनन कार्य किया है और उक्त लीज पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।

18. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि **गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ [(2011) 15 एससीसी 793**, **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [(2014) 14 एससीसी 155** और **मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव एवं अन्य [(2014) 9 एससीसी 516]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद, विधानमंडल द्वारा झारखंड लघु

खनिज रियायत नियमावली में संशोधन करके एक प्रावधान सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, नियम 9(1) को संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया है जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

> **"9(1)** (च) सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे0 क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर प्राप्त वैसे खनन लीज, जो नवीकरण अंतर्गत थे एवं पर्यावरणीय स्वीकृति/खनन योजना प्राप्त नहीं रहने के कारण कालतिरोहित हो गए हो, उनके लीज की अवधि लीज स्वीकृति/नवीनीकरण की तिथि से 31 मार्च, 2020 तक के लिए अवधि विस्तारित मानी जाएगी, बशर्ते कि अधिसूचना की तिथि के पूर्व खनन लीज की अस्वीकृति/रद्द/व्ययगत होने का आदेश, नहीं पारित किया गया है, परन्तु वैसे खनन लीज पर कोई खनन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि खनन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति/वन एवं पर्यावरण विभाग की स्वीकृति/खनन योजना स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाता है। आवेदक को सभी वांछित अनापत्ती 180 दिनों के अंदर समर्पित करना होगा।
> (छ) सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे0 क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर स्वीकृति/नवीकृत खनन लीज की अवधि यदि उनकी स्वीकृति/नवीकरण की अवधि 31 मार्च 2020 के बाद की तिथि हो, तो उनकी अवधि उनकी स्वीकृति/नवीकरण की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।"

19. उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सभी लीज जो जे.एम.एम.सी नियमों के नियम 9(1) के प्रावधान के सम्मिलित होने की तिथि तक वैध थे, उन्हें 31.03.2020 तक या लाइसेंस की वैधता अवधि तक, जो भी बाद में हो, तक प्रभावी माना गया है।

20. रिट याचिकाकर्ता का लीज 10.10.2020 तक वैध था और इस प्रकार, जे.एम.एम.सी नियमों के नियम 9(1) के प्रावधान के प्रभाव के कारण, रिट याचिकाकर्ता ने 10.10.2020 तक खनन कार्य किया है, लेकिन उपरोक्त पट्टे की निर्वाह अवधि के बीच, रिट याचिकाकर्ता ने 05 वर्ष की अवधि के लिए लीज को नवीनीकृत करने के प्राधिकरण के निर्णय पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की है कि इसे 10 साल के लिए नवीनीकृत क्यों नहीं किया गया।

21. इसके अलावा, इस बीच, जे.एम.एम.सी नियमों के नियम 9(1) का प्रावधान 02.03.2017 से प्रभावी रूप से क़ानून में शामिल किया गया है। क़ानून में

प्रावधान है कि कोई नवीनीकरण नहीं होगा और नवीनीकरण केवल 31.03.2020 तक वैध होगा या यदि पट्टा पहले से ही 31.03.2020 से आगे की अवधि के लिए दिया गया है, तो उक्त अवधि लागू होगी।

22. यहाँ स्वीकृत स्थिति यह है कि नियम 9(1) 02.03.2017 को अस्तित्व में आया और रिट याचिका 23.03.2018 को दायर की गई है।

23. यहां जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि-

I. क्या लीज समझौते की शर्तों और नियमों को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद लीज धारक को उन्हें चुनौती देने की अनुमति दी जा सकती है?

II. क्या जे.एम.एम.सी नियम में नियम 9(1) के लागू होने के बाद लीज का नवीनीकरण किया जा सकता है?

24. दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए उनका उत्तर एक साथ दिया जा रहा है।

25. कानून की यह स्थापित स्थिति है कि एक बार जब पक्षकारों ने लीज या किसी समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है, तो यह बाध्यकारी है और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम एन राजू रेड्डीर और अन्य, (1996) 4 एससीसी 551** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें पैराग्राफ 7 में यह माना गया है जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> "7. सबसे पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि पक्षों के बीच समझौता एक लिखित समझौता था और इसलिए पक्ष समझौते की शर्तों से बंधे हुए हैं। एक बार जब अनुबंध लिखित रूप में हो जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 91 के तहत किसी भी पक्ष के लिए अनुबंध की शर्तों को साबित करने के लिए मौखिक या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के संदर्भ में पक्षकारों के इरादे का पता लगाना संभव नहीं है … … … … … … …"

26. इसमें यह स्वीकार किया गया तथ्य है जैसा कि रिट याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि लीज का नवीनीकरण 10.10.2020 तक किया गया था और लीज की शर्तों पर कार्य करने के बाद, लीज की अवधि के बीच में,

पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है कि लीज 05 वर्षों के लिए क्यों दिया गया और 10 वर्षों के लिए क्यों नहीं।

27. चूंकि कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार जब किसी समझौते के पक्षकारों द्वारा नियम व शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो उन्हें उन पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होता, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पन्ना लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (1975) 2 एससीसी 633** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जिसमें पैराग्राफ 21 में यह माना गया है कि लाइसेंसधारी ने स्वेच्छा से अनुबंध स्वीकार कर लिया है और अन्य को छोड़कर अनुबंध का अपने लाभ के लिए पूर्ण रूप से दोहन कर लिया है, वह अनुबंध से पीछे नहीं हट सकता है और असुविधाजनक होने के आधार पर शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता है। त्वरित संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय के पैरा 21 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "**21.** वर्तमान मामले में लाइसेंस पक्षों के बीच अनुबंध हैं। लाइसेंसधारियों ने स्वेच्छा से अनुबंध स्वीकार किए। "उन्होंने दूसरों को बाहर करके अनुबंधों का अपने लाभ के लिए पूरा फायदा उठाया। उच्च न्यायालय ने सही कहा कि अपीलकर्ताओं के लिए इस आधार पर अनुबंधों से पीछे हटना संभव नहीं था कि भुगतान की शर्तें बोझिल थीं। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण यह थे कि लाइसेंसधारियों ने अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर करके लाइसेंस स्वीकार किया था और शर्तों के असुविधाजनक परिणाम या शर्तों की कठोरता के आधार पर लाइसेंसधारियों के लिए शर्तों को चुनौती देना संभव नहीं होगा।"

28. यहां मामले का तथ्य बिल्कुल समान है और इसलिए, कानून की पूर्वोक्त स्थापित स्थिति के मद्देनजर, रिट याचिकाकर्ता के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर सवाल उठाना संभव नहीं है कि लीज 10 साल के लिए क्यों नहीं जारी किया गया और यह 05 साल के लिए है।

29. इसके अलावा, इस बीच, जे.एम.एम.सी. नियमों में नियम 9(1) को सम्मिलित करके एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत 31.03.2020 तक लीज का नवीकरण माना जाएगा, लेकिन इसमें यह चेतावनी दी गई है कि यदि लीज 31.03.2020 की अवधि से परे वैध है, तो लीज की वैधता स्वीकार की जाएगी।

30. यहां, लीज 10.10.2020 तक था और इसलिए, जे.एम.एम.सी नियमों के नियम 9(1) के तहत किए गए प्रावधान के मद्देनजर, लीज की वैधता 10.10.2020 तक रहने की अनुमति दी गई थी।

31. लेकिन, सवाल यह है कि जब नियम ने सभी मौजूदा लीज को 31.03.2020 तक या उससे अधिक अवधि के लिए समाप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए इसे नवीनीकृत किया गया था, तो वैधानिक प्रावधान के विपरीत कोई निर्णय नहीं हो सकता है, अन्यथा, प्रावधान ही निरर्थक कहा जाएगा और निर्णय वैधानिक प्रावधान के विपरीत होगा।

32. पुनरीक्षण प्राधिकरण ने इन दो कारणों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

33. इसलिए, हमारा मानना है कि चूंकि रिट याचिका प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दायर की गई है, जिसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि दिखाई दे या न्याय का घोर हनन हो, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सैयद याकूब बनाम राधाकृष्णन, ए.आई.आर. 1964 सुप्रीम कोर्ट 477** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिसमें पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

> "7. अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। उत्प्रेषण रिट अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहां अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी तरह एक रिट तब जारी की जा सकती है जब न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, जैसे कि वह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप

> में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है या उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली विधि की त्रुटि को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से गलती से इनकार कर दिया था, या गलत तरीके से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था जिसने आपत्तिजनक निष्कर्ष को प्रभावित किया है। इसी तरह, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे विधि की त्रुटि माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालांकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उत्प्रेषण रिट की कार्यवाही में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य आपत्तिजनक निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त थे। किसी बिंदु पर दिए गए साक्ष्य की पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, और उक्त बिंदुओं को रिट न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। यह इन सीमाओं के भीतर है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए प्रदान किए गए अधिकार क्षेत्र का वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है।

34. **हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक एवं अन्य, एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 233** में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ संख्या 21 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> **"21.** उत्प्रेषण रिट के चरित्र और दायरे तथा जिन शर्तों के तहत इसे जारी किया जा सकता है, के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्थापित माने जा सकते हैं: (1) उत्प्रेषण रिट अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जाएगी, जैसे कि जब कोई अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहता है। (2) उत्प्रेषण रिट तब भी जारी की जाएगी जब न्यायालय या

> न्यायाधिकरण अपने निस्संदेह अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। (3) उत्प्रेषण रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र का। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस न्यायालय के पास किसी विषय-वस्तु पर अधिकार-क्षेत्र होता है, उसके पास गलत के साथ-साथ सही का भी निर्णय लेने का अधिकार होता है, और जब विधानमंडल उस निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान नहीं करना चाहता है, तो यह उसके उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, यदि कोई उच्च न्यायालय साक्ष्य के आधार पर मामले की पुनः सुनवाई करता है और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रमाणित करता है।

35. **सावर्ण सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (1976) 2 एससीसी 868** में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति पर चर्चा करते हुए, पैराग्राफ संख्या 12 और 13 में निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

> "**12.** प्रस्तुत विवादों पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि प्रमाण-पत्र के अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ दर्शाने वाले सामान्य सिद्धांत केवल निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रमाण-पत्र का रिट केवल पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ही जारी किया जा सकता है जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र से अलग है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने **सैयद याकूब (सुप्रा)** के मामले में बताया था।
>
> **13.** किसी अवर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने ऐसे साक्ष्य पर काम किया हो जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो, या स्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, या यदि निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो, क्योंकि ऐसे मामलों में त्रुटि कानून की त्रुटि के बराबर होती है। रिट क्षेत्राधिकार केवल

> उन मामलों तक ही सीमित है जहां अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर या उनके द्वारा दिए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं या वे अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करते हैं जिससे न्याय का गंभीर हनन होता है।

36. तथ्यात्मक पहलू तथा उपरोक्त विधिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिट याचिकाकर्ता ने विवादित आदेश में हस्तक्षेप करके रिट जारी करने का मामला बनाने में असफल रहा है।

37. तदनुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

बीरेन्द्र/ए.एफ.आर.

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।